प्रारूप—एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

भू—अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

....

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल (हे0में)	लोक प्रयोजन का विवरण
रायगढ	तमनार	**नूनदरहा—नवाडीह**	**0.847 हे0**	लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण अंतर्गत पुल/पुलिया निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जनसुनवाई दिनांक 18-07-2018 को समय 2.00 बजे दोपहर से 4.00 बजे शाम तक ग्राम पंचायत भवन—**नूनदरहा** पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण— :—**पुलिया निर्माण हेतु**
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :— **17**
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :— **निरंक**
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :— **निरंक**
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :—**निरंक**
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है:— **हां**
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है :— **हां**
8. परियोजना की कुल लागत :— लगभग **17,90,420—00 रू0**
9. परियोजना से होने वाला लाभ :— **पुल/पुलिया पहुंचमार्ग निर्माण से आवागमन की सुविधा**
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की क्षतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय :— **5,00,000—00**
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटांकः— **निरंक**

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा, जिला रायगढ
18/6/18

(शम्मी आबिदी)
कलेक्टर
रायगढ (छ.ग.)